-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2017 में थाना गिरवां क्षेत्र में शराब के नशे में घर में घुस कर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 02.04.2017 को थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला से अभियुक्त कंचन सिंह पुत्र व वीरेन्द्र सिंह नि0 खानपुर थाना गिरवां ने शराब के नशे में घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता की तहरीर पर थाना गिरवां पर अभियोग **मु0अ0सं0 69/2017 धारा 452/323 /376/504/506 भादवि** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन **थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार तिवारी** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 10.04.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार दीक्षित व श्री रामकुमार सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रुबी देवी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय ASJ/FTC-I बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **कंचन सिंह पुत्र व वीरेन्द्र सिंह नि0 खानपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।**